



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052021-226823
CG-DL-E-03052021-226823

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 3, 2021/वैशाख 13, 1943

No. 249]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 3, 2021/VAISAKHA 13, 1943

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 315(अ).—भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 29 अप्रैल, 2021 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि.299 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम 2021 के पैरा 2 के खंड (ख) के उपखंड (i) में "पैंतालीस गुणा" शब्दों के स्थान पर "पैंतीस गुणा" शब्द पढ़े जाएं।

[फा. सं. आर-16011/1/2020-एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव